सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 29, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 21, *2024* *Asvina 29, Monday, Saka 1946- October 21, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्स आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2024

जी.एस.आर.53 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 14 के परन्तुक का विद्यमान खण्ड (xiii) हटाया जायेगा।

3. नियम 23 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 23 के उप-नियम (3) में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान परंतुक उसके स्पष्टीकरण सहित हटाया जायेगा।

4. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में,-

(i) शीर्ष ग्रुप क-सामान्य के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 3,4,5,6 और 7 तथा उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(ii) विद्यमान शीर्ष ग्रुप गः सूचना एवं प्रौद्योगिकी और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[सं. एफ.1(1) डीओपी/ ए-II/96]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 17, 2024

G.S.R.53 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2024.
(2)They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 14.- The existing clause (xiii) of proviso to rule 14 of the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998, hereinafter referred to as the said rules, shall be deleted.

3. Amendment of rule 23.- In sub-rule (3) of rule 23 of the said rules,-
(i) for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted; and
(ii) the existing proviso with its explanation shall be deleted.

4. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the said rules,-

(i) under the heading Group A-General, existing serial number. 3, 4, 5, 6 and 7 and entries thereto shall be deleted; and
(ii) the existing heading Group C: Information & Technology and entries thereto shall be deleted.

[No. F.1(1)DOP/A-II/96]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.